न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)
पीठासीन अधिकारी :– श्री कपिल कुमार (आर.ए.एस.)

वाद पत्र संख्या	**जीसीएमएस संख्या**	**दायर दिनांक**	**निर्णय दिनांक**
110/2022	**2022/256**	**21.07.2022**	**31.07.2025**

उनवान प्रकरण

1 दिलीप कुमार पुत्र रामावतार
2 मुकेश कुमार पुत्र रामावतार
समस्त जाति जोगी निवासी ग्राम पावटा तहसील पावटा जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान

वादीगण

बनाम

1 अमरनाथ पुत्र रामजीलाल
2 बजरंगलाल पुत्र रामजीलाल
3 लक्ष्मीनारायण पुत्र गणेशदास
समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पावटा तहसील पावटा
4 प्रबन्धक महोदय जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा प्रागपुरा तहसील पावटा
5 प्रबन्धक गहोदय केनरा बैंक शाखा पावटा
6 प्रबन्धक महोदय युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पावटा
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील पावटा
8 श्रीमान सब रजिस्ट्रार महोदय सब रजिस्ट्रार कार्यालय पावटा

प्रतिवादीगण

वादी वकील श्री सुधीर कुमार शर्मा व घनश्याम मीणा
प्रतिवादी सं. 01 लगा. 03 श्री जितेन्द्र रावत व राजाराम रावत

दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

1. वादीगण की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता पेश वादपत्र निम्नानुसार है कि आराजी हाल खसरा नम्वर 385/2.07 हैक्ट0 भूमि वाके मोजा कल्याणपुरा तहसील पावटा में स्थित है जिसे आगे वाद में आराजी मतदाविया से संबोधित किया गया है। उपरोक्त आराजी मुतदाविया के खातेदार काश्तकार वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 है तथा उपरोक्त आराजी में वादी संख्या 01 व 02 हिस्सा 44/207 – 44/207 व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 हिस्सा 25/138 – 25/138 व प्रतिवादी सख्या 03 हिस्सा 44/207 पर बत्तौर खातेदार काबिज चले आ रहे है। उपरोक्त आराजी मुत्तदाविया का पक्षकारान ने बाहमी तौर पर बंटवारा कर रखा है तथा उपरोक्त आराजी में वादी सख्या 01 व 02 के हिस्से में बतरफ उत्तर से दक्षिण 44 ऐयर तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 04 लक्ष्मीनारायण 44 ऐयर तत्पश्चात वादीगण 44 ऐयर व उसके पश्चात प्रतिवादी सख्या 01 व 02 37.05 – 37.05 ऐयर भूमि के अनुसार मौके पर बाट रखा है तथा वादी संख्या 01 व 02 ने अपने हिस्से में आयी भूमि में उत्तर की और बोरिंग कर रखी है व विद्युत कनेक्शन ले रखा है तथा सिचाई हेतु पाइप लाइन डाल रखी है तथा फसल की सुरक्षा हेतु पिलर व तारबंदी लगा रखी है। उपरोक्त आराजी मुतदाविया का रिकार्ड में विधिवत बंटवारा नही होने के कारण प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण के हिस्से में आयी भूमि में जबरन दखलन्दाजी पैदा करते है वादीगण ने प्रतिवादीगण को बहुत समझाया परन्तु वे अपनी चाल से बाज नही आ रहे है।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (जिला–कोटपूतली बहरोड़)

2. इसलिये वादीगण को हक हो गया है कि वह जरिये अदालत आराजी हाल खसरा नम्बर 385/2.07 हैक्ट0 भूमि वाके मोजा कल्यागपुरा तहसील पावटा का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के मध्य बांहमी बंटवारे के अनुसार तकास्मा किया जावे एवं अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का निर्धारण करते हुये एवं रास्ते की समुचित व्यवस्था करते हुये भूमि का उनके हिस्सेनुसार तकास्मा किया जावे एव इस हेतु तहसीलदार पावटा को मध्यस्त नियुक्त किया जावे। प्रतिवादीगण उपरोक्त आराजी मुतदाविया की भूमि में वादीगण के हिस्से में आयी भूमि में लगे पिलर व तारबंदी को उखाडकर फेक देते है व खडी फसल को नुकसान पहुंचाते है तथा वादीगण को बोरिंग से पानी देने व पाइप लाइन डालने व लाने ले जाने में बाधा उत्पन्न करते है वादीगण ने प्रतिवादीगण को बहुत समझाया परन्तु वे अपनी चाल से बाज नही आ रहे है इसलिये वादीगण को हक हो गया है कि वह जरिये अदालत प्रतिवादीगण को इस अमर से पाबन्द करावे कि प्रतिवादीगण आराजी हाल खसरा नम्बर 385/2.07 वाके मोजा कल्याणपुरा तहसील पावटा की भूमि में वादीगण को उनके हिस्से में आयी भूमि को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे, खडी फसल को नुकसान न पहुंचावे, तारबंदी व पिलर आदि को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचावे व वादी को अपनी बोंरिंग से शांतिपूर्वक अपने खेतो में सिचाई करने देवे व पाइप लाइन डालने देवे व खेतो में आने जाने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे एवं भौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। वाद कारण प्रतिवादीगण द्वारा गत सप्ताह उपरोक्त भूमि का तकास्मा करवाने से इंकार करने व वादीगण को हिस्सेनुसार काश्त करने से बाधा उत्पन्न करने से पैदा हुआ। वादग्रस्त भूमि श्रीमान न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है तथा पक्षकारान भी श्रीमान अधिकार क्षेत्र में निवास करते है अतः वाद सुनने व तैय करने का क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसुची के अनुसार फिक्स कोर्ट पर वाद पेश है।

3. वादी का हक हो गया है कि एक किता डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की प्रदान की जावे कि आराजी हाल खसरा नम्बर 385/2.07 हैक्ट0 भूमि वाके मोजा कल्याणपुरा तहसील पावटा का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के मध्य बांहमी बंटवारे के अनुसार तकास्मा किया जावे एवं अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का निर्धारण करते हुये एवं रास्ते की समुचित व्यवस्था करते हुये भूमि का उनके हिस्सेनुसार तकास्मा किया जावे एव इस हेतु तहसीलदार पावटा को मध्यस्त नियुक्त किया जावे। प्रतिवादीगण को इस अमर से पाबन्द करावे कि प्रतिवादीगण आराजी हाल खसरा नम्बर 385/2.07 वाके मोजा कल्याणपुरा तहसील पावटा की भूमि में वादीगण को उनके हिस्से में आयी भूमि को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे, खडी फसल को नुकसान न पहुंचावे, तारबंदी व पिलर आदि को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचावे व वादी को अपनी बोरिंग से शांतिपूर्वक अपने खेतो में सिचांई करने देवे व पाइप लाइन डालने देवे व खेतो में आने जाने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे एवं मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अन्य जो दादर्शी मान्य न्यायालय वादीगण के हक में उचित समझे प्रदान की जावे।

4 वादपत्र पेश होने पर काबिले समात पाये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गए। विधिवित तामिल करवाई गई। प्रतिवादी सं. 01 लगायत 03 की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र रावत व राजाराम रावत उपस्थित आकर जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम व वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (जिला–कोटपुतली बहरोड़)

5 शेष प्रतिवादी सं. 04 लगायत 06 बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहे, इस कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी अधिवक्ता द्वारा काउन्टर क्मेल का जवाब दिया गया, नकल प्रतिवादी अधिवक्ता को दिलायी गयी। शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 05.06.2025 को वकील उभयपक्ष की बहस उपरान्त वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाकर काउन्टर क्मेल को मध्यनजर रखते हुए तहसीलदार पावटा को बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट हेतू लिखा गया। दिनांक 16.07.2025 को तहसीलदार पावटा से कुर्रेजात बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो आगामी नियत दिनांक को शामिल पत्रावली की गई। वादी वकील ने तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वादपत्र को डिक्री करने हेतू निवेदन किया। जिस पर प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपनी सहमति जाहिर की। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया जाकर अध्ययन व मूल्यांकन किया गया, तहसीलदार पावटा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वादीगण का वादपत्र एवं काउन्टर क्मेल कर्ता का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

6 अतः तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वादीगण का वादपत्र एवं काउन्टर क्मेल कर्ता का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया है। कि आराजी खसरा न0 385/2.07 हैक्ट0 भूमि वाके मोजा कल्याणपुरा तहसील पावटा तहसील पावटा जिला–जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड राज. के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनकों पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

क्रसं	नाम खातेदार	ख.न./रकबा
1	दिलीप **कुमार पु. रामावतार हि. 1/2 जा. जोगी सा. पावटा राहिन केनरा बैंक पावटा** **मुकेश कुमार पु. रामावतार हि. 1/2 जा. जोगी सा. पावटा राहिन केनरा बैंक पावटा**	**385/1/0.48, 385/3/0.40 हैक्ट0 भूमि ।**
2	**लक्ष्मीनारायण पु. गणेशदास हि. पूर्ण जा. ब्राह्मण सा. देह राहिन यूनियन बैंक आफ इंडिया पावटा**	**385/2 रकबा 0.44 हैक्ट0 भूमि**
3	**अमरनाथ पु. रामजीलाल हि. 1/2 जा. ब्राह्मण सा. देह राहिन JTGB प्रागपुरा** **बजरंगलाल पु. रामजीलाल हि. 1/2 जा. ब्राह्मण सा. देह राहिन JTGB प्रागपुरा**	**385/4 रकबा 0.75 हैक्ट0 भूमि**

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पावटा को लिखा जावें। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(कपिल कुमार, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (जिला–कोटपूतली बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी * पावटा (जिला–कोटपूतली बहरोड़)

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस संख्या	दायर दिनांक	डिक्री दिनांक
110/2022	2022/256	21.07.2022	31.07.2025

उनवान प्रकरण

1 दिलीप कुमार पुत्र रामावतार
2 मुकेश कुमार पुत्र रामावतार
समस्त जाति जोगी निवासी ग्राम पावटा तहसील पावटा जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान

वादीगण

बनाम

1 अमरनाथ पुत्र रामजीलाल
2 बजरंगलाल पुत्र रामजीलाल
3 लक्ष्मीनारायण पुत्र गणेशदास
समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पावटा तहसीरा पावटा
4 प्रबन्धक महोदय जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा प्रागपुरा तहसील पावटा
5 प्रबन्धक गहोदय केनरा बैंक शाखा पावटा
6 प्रबन्धक महोदय युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पावटा
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील पावटा
8 श्रीमान सब रजिस्ट्रार महोदय सब रजिस्ट्रार कार्यालय पावटा

प्रतिवादीगण

वादी वकील श्री सुधीर कुमार शर्मा व घनश्याम मीणा
प्रतिवादी सं. 01 लगा. 03 श्री जितेन्द्र रावत व राजाराम रावत

दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

अतः तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वादीगण का वादपत्र एवं काउन्टर क्मेल कर्ता का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया है। कि आराजी खसरा न0 385/2.07 हैक्ट0 भूमि वाके मोजा कल्याणपुरा तहसील पावटा तहसील पावटा जिला–जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड राज. के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनको पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

कसं	नाम खातेदार	ख.न./रकबा
1	दिलीप कुमार पु. रामावतार हि. 1/2 जा. जोगी सा. पावटा राहिन केनरा बैंक पावटा मुकेश कुमार पु. रामावतार हि. 1/2 जा. जोगी सा. पावटा राहिन केनरा बैंक पावटा	385/1/0.48, 385/3/0.40 हैक्ट0 भूमि ।
2	लक्ष्मीनारायण पु. गणेशदास हि. पूर्ण जा. ब्राह्मण सा. देह राहिन यूनियन बैंक आफ इंडिया पावटा	385/2 रकबा 0.44 हैक्ट0 भूमि
3	अमरनाथ पु. रामजीलाल हि. 1/2 जा. ब्राह्मण सा. देह राहिन JTGB प्रागपुरा बजरंगलाल पु. रामजीलाल हि. 1/2 जा. ब्राह्मण सा. देह राहिन JTGB प्रागपुरा	385/4 रकबा 0.75 हैक्ट0 भूमि

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (जिला–कोटपूतली बहरोड़)

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें।

आज दिनांक 31.07.2025 को उक्त डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(कपिल कुमार, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली- बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (जिला- कोटपूतली बहरोड़)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड	